राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी, 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/21/ 34127-67 **जयपुर, दिनांक :** 13/5/2025

संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/
जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
.... (समस्त)

विषय : मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु जारी मुख्य मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों को कोचिंग संस्थाओं में ज्वॉईन करवाये जाने के सम्बंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/21/ 33462-509 दिनांक 02.05.2025

उपरोक्त प्रासांगिक विषय में लेख है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत सत्र 2024-25 हेतु विभाग द्वारा सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं में निःशुल्क कोचिंग किये जाने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रोविजनल मैरिट सूची जारी कर विभागीय जिलाधिकारियों से अभ्यर्थियों की पात्रता एवं उनके आवेदन में अपलोड किये गये दस्तावेजों के सत्यापन/जॉच उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा अनुमोदित किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की संशोधित मुख्य मैरिट सूची जारी की जा चुकी है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार आपके अधीन कार्यरत कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाकर उस मूलनिवास वाले जिले के मुख्य मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों से दूरभाष पर सम्पर्क करवाकर सम्बधित अभ्यर्थियों को आवंटित कोचिंग संस्थानों में दिनांक 11.05.2025 के स्थान पर 18.05.2025 तक ज्वॉईन किये जाने हेतु प्रोत्साहित करावें एवं प्रतिदिन ज्वाईन करवाये गये अभ्यर्थियों की कोचिंगवार सूचना छात्रवृति प्रशाखा की ई-मेल पर भिजवाया जाना सुनिश्चित

Signature valid
Digitally signed by Badhanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.05.12 18:12:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15250654

Scanned with OKEN Scanner

करावें। साथ ही अभ्यर्थियों को यह भी आवश्यक रूप से अवगत करवाया जावे कि "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संशोधित नवीनतम विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया क्रमांक 21178 दिनांक 15.11.2024 के बिन्दु संख्या 12 के उपबिन्दु 'सी' के प्रावधानुसार मुख्य मैरिट सूची के अभ्यर्थियों को 10 दिवस के भीतर कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन किये जाने का अवसर दिया जावेगा। यदि किन्हीं कारणों से मुख्य सूची के विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में ज्वॉईन नहीं किया जाता है तो इस रिक्त सीट पर प्रतीक्षा सूची के श्रेणीवार/वर्गवार पात्र एवं योग्य अभ्यर्थियों को मैरिट कम प्रिफरेन्स तथा सीट की उपलब्धता के आधार पर सम्बधित कोचिंग संस्थान में सम्बधित सत्र में ही अवसर प्रदान किया जावेगा।"

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ 13 ( )मु./अनु.कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/21/ 34168-71 **जयपुर, दिनांक :** 13/5/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि मुख्य मैरिट सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को यह सूचना सुलभ रूप से प्राप्त हो सके कि उनको आवंटित कोचिंग संस्थान में उनके द्वारा यदि दिनांक 18.05.2025 तक ज्वाईन नही किया जाता है तो उनको आवंटित सीट को रिक्त मानते हुए उन रिक्त सीट पर प्रतीक्षा सूची में रखे गये अन्य पात्र अभ्यर्थियों को मैरिट कम प्रिफरेन्स के आधार पर ज्वॉईन करने का अवसर दिया जा सकेगा।
4. निदेशक/प्रबंधक/अध्यक्ष.. (सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान) को भेजकर लेख है कि आपकी कोचिंग संस्थान को मुख्य मैरिट सूची अनुसार आवंटित अभ्यर्थियों से सम्पर्क कर दिनांक 18.05.2025 तक ज्वॉईन करवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत शत प्रतिशत सीटों को भरा जा सकें।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2025.05.12 18:12:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15250654

Scanned with OKEN Scanner